प्रकाशन के लिए अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर</u>

<u>'रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2754 /2009</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : तपन चटर्जी

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> : महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एवं

अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 11 अगस्त, 2010 को आदेश के उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री,
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2754 /2009

याचिकाकर्ता : तपन चटर्जी

बनाम

उत्तरवादीगण : महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:- श्री शैलेंद्र दुबे, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

सुश्री नौशिना अफरीन अली, अधिवक्ता, सहित श्री सौरभ डांगी, स्थायी अधिवक्ता रेलवे की ओर से।

आदेश

(दिनांक 11 अगस्त, 2010 को पारित किया गया)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, श्री शैलेंद्र दुबे, और रेलवे की ओर से सुश्री नौशिना अफरीन अली, स्थायी अधिवक्ता, सहित श्री सौरभ डांगी, अधिवक्ता, को सुना गया।

1. याचिकाकर्ता स्वयं को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मज़दूर कांग्रेस (संक्षेप में 'एस.ई.सी.आर.एम.सी.') का अध्यक्ष बताता है । याचिकाकर्ता-संघ (यूनियन), इस याचिका के माध्यम से, उत्तरवादी संख्या 2 से 6 को परमादेश के स्वरूप में एक रिट जारी करने की माँग करता है कि वे उत्तरवादी-रेलवे द्वारा जारी किए गए दिनांक 16.03.2009 (अनुलग्नक पी/2), दिनांक 7.4.2009 (अनुलग्नक पी/3), दिनांक 08.04.2009 (अनुलग्नक पी/4) और दिनांक 29.04.2009 (अनुलग्नक पी/5) के प्रश्नगत सूचनाओं/पत्रों (सूचना/संचार) को वापस लें । इसके अतिरिक्त, यह भी माँग की गई है कि उत्तरवादी-रेलवे द्वारा याचिकाकर्ता-संघ को विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराए गए आवास के शांतिपूर्ण अधिपत्य में हस्तक्षेप न करें , और उत्तरवादी संख्या 1 को उत्तरवादी संख्या 6 के विरुद्ध उचित कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दें ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता स्वयं को एन.एफ.आई.आर., आई.एन.टी.यू.सी. और आई.टी.एफ. लंदन से मान्यता प्राप्त और संबद्ध एस.ई.सी.आर.एम.सी. का अध्यक्ष बताता है, जिसका पंजीकरण क्रमांक 78 है और जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है। याचिकाकर्ता-संघ वर्ष 1953 में स्थापित सबसे पुराने संघों में से एक है। याचिकाकर्ता-संघ को भुगतान के आधार पर आवास, बिजली, टेलीफोन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई

थीं। याचिकाकर्ता-संघ के कार्यालय बिलासपुर, रायपुर, नागपुर और विभिन्न अन्य स्थानों पर कार्यरत हैं । उत्तरवादी संख्या 1 ने दिनांक 11.12.2007 को याचिकाकर्ता-संघ को एक पत्र लिखा था कि याचिकाकर्ता-संघ ने कुल मतदाता संख्या का 30% या उससे अधिक का एकल मत (वोट), या डाले गए वैध मतों (वोटों) का 35% मत प्राप्त नहीं किया है। याचिकाकर्ता-संघ ने कुल मतदाता संख्या का केवल 24.25% मत और वैध मतों का 28.69% मत प्राप्त किया है, अतः, मुख्यालय/मंडल/कार्यशाला/इकाइयों में याचिकाकर्ता-संघ को दी गई सभी विशेषाधिकार/सुविधाएं वापस ले ली गईं । दिनांक 17.12.2007 (अनुलग्नक पी/1) के विधिक सूचना के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करते हुए, याचिकाकर्ता-संघ ने निवेदन किया कि दिनांक 11.12.2007 के पत्र द्वारा सुविधाएं वापस लेने की सूचना अवैध, मनमाना है और उसे वापस लिया जाए। इसके पश्चात, प्रश्नगत पत्र दिनांक 16.3.2009 (अनुलग्नक पी/2) द्वारा, याचिकाकर्ता-संघ को सूचित किया गया था कि संघ की डब्ल्यू.आर.एस. शाखा को आवंटित शाखा आवास के अतिरिक्त कोई अन्य आवास रिक्त नहीं किया गया है । इसलिए, दिनांक 31.03.2009 तक याचिकाकर्ता-संघ के अधिपत्य में मौजूद सभी कार्यालय आवासों को रिक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का पुनः अनुरोध किया गया था, ताकि आगे की कार्यवाही से बचा जा सके । वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, एस.ई.सी.आर., नागपुर का पत्र दिनांक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

07.04.2009 (अनुलग्नक पी/3) कार्यकारी मंडल समन्वयक, एस.ई.सी.आर.एम.सी. को भेजा गया था, जिसमें याचिकाकर्ता-संघ को दिनांक 30.04.2009 तक सभी शाखाओं के कार्यालय आवासों को रिक्त करने की सलाह दी गई थी। एक और पत्र दिनांक 08.04.2009 (अनुलग्नक पी/4) जो श्री दिनेश सिंह ठाकुर, तकनीशियन ग्रेड I, टी. नं. 11131 को संबोधित किया गया था , जिसमें याचिकाकर्ता-संघ के अधिपत्य (कब्ज़े) वाले आवास को रिक्त करना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था । तत्पश्चात, दिनांक 29.04.2009 (अनुलग्नक पी/5) को, संघ भवन को रिक्त करने के लिए 17 मई, 2001 तक और समय बढ़ाया गया था। इसके पश्चात, उपर्युक्त सूचनाओं/पत्रों को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता-संघ की ओर से उपस्थित श्री दुबे, विद्वान अधिवक्ता, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-संघ एक पंजीकृत संघ है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना ट्रेड संघों में से एक है। प्रश्नगत सूचनाएं/पत्र उत्तरवादी संख्या 2 से 5 द्वारा याचिकाकर्ता-संघ पर दबाव बनाने के लिए जारी किए गए हैं ताकि रेलवे प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए आवास को इस आधार पर रिक्त कराया जा सके कि याचिकाकर्ता-संघ उसकी मान्यता को बनाए रखने लिए कुल मतदाता संख्या का 30% या उससे

अधिक का एकल मत, या डाले गए वैध मतों का 35% मत प्राप्त करने में विफल रही है। याचिकाकर्ता-संघ ने कुल मतदाता संख्या का केवल 24.25% मत और वैध मतों का 28.69% मत प्राप्त किया है। आगे तर्क दिया कि कुल मतदाता संख्या का 30% या उससे अधिक का एकल मत, या डाले गए वैध मतों का 35% प्राप्त करने की कोई शर्त नहीं थी, और इस प्रकार, उसे मान्यता के साथ-साथ याचिकाकर्ता-संघ को सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक पूर्व शर्त नहीं बनाया जा सकता है। मान्यता का विषय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती के अधीन है, इसलिए उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा यह निर्देश देते हुए कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था कि याचिकाकर्ता-संघ आवास और अन्य सुविधाओं को रिक्त करे, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता-संघ मान्यता प्राप्त संघ नहीं रही । याचिकाकर्ता-संघ को अधिपत्य से हटाने और अन्य सुविधाओं को वापस लेने का कार्य संपदा अधिकारी को विवाद संदर्भित करके विधि के अनुसार किया जा सकता था। ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार, उत्तरवादी संख्या 2 से 5 का संपूर्ण कार्यवाही अवैध, मनमाना और भेदभावपूर्ण है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरित, रेलवे की ओर से उपस्थित सुश्री नौशिना अफरीन अली, स्थायी अधिवक्ता, सहित श्री सौरभ डांगी, अधिवक्ता, द्वारा तर्क प्रस्तुत किया

गया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का गठन पूर्ववर्ती दक्षिण पूर्वी रेलवे से दिनांक 01.04.2003 को हुआ था। याचिकाकर्ता-संघ की मान्यता को दिनांक 03.12.2007 को निरस्त करने तक मान्यता प्राप्त संघ था, जो कि नवंबर 26 से 28 नवंबर, 2007 तक आयोजित गोपनीय मतदान में निर्धारित संख्या में मत प्राप्त करने में उनकी विफलता के परिणामस्वरूप हुआ। केवल मान्यता प्राप्त रेलवे संघ ही प्रशासन और मान्यता प्राप्त संघों के बीच सुचारु संचार बनाए रखने के लिए किराया, बिजली, टेलीफोन शुल्क, फैक्स, रेल यात्रा के लिए कार्ड पास आदि के सामान्य शुल्क के भुगतान पर कुछ सुविधाओं की हकदार होती हैं। याचिकाकर्ता-संघ को दिनांक 10.04.2003 को विधिवत मान्यता प्राप्त होने पर सुविधाएं प्रदान की गई थीं। रेलवे प्रशासन, संघ की स्थिति में परिवर्तन के कारण मान्यता- विहीन संघों को आवास रिक्त करने का निर्देश देने के लिए सक्षम है, क्योंकि चुनाव में वे कुल मतदाता संख्या का न्यूनतम 30% या उससे अधिक का एकल मत, या वैध मतों का 35% प्राप्त करने में विफल रहे, और याचिकाकर्ता-संघ ने केवल कुल मतदाता संख्या का 24.25% मत और वैध मतों का 28.69% मत प्राप्त किया था । महासचिव, एस.ई.सी.आर.एम.सी. ने दिनांक 20.12.2007 के पत्र (अनुलग्नक आर/1) द्वारा प्रशासन से तीन मास के लिए प्रतिधारण की अनुमति देने का अनुरोध किया था और यह भी सूचित किया था कि वे आवास की तलाश में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थे। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता-संघ को दिनांक 10.06.2008 तक आवास और अन्य सुविधाओं को बनाए रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया । इस पर भी विचार किया गया और याचिकाकर्ता-संघ को दिनांक 10.06.2008 तक का समय दिया गया था । भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग कोड (संक्षेप में 'संहिता') के कंडिका 1905 के अनुसार, यह रेलवे की एक नीति है कि वह केवल मान्यता प्राप्त संघों को ही किराए पर आवास और अन्य सुविधाएं आवंटित करे । याचिकाकर्ता-संघ अन्य मामलों के लंबित होने का आश्रय नहीं ले सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता-संघ आधिकारिक आवास और अन्य सुविधाएं बनाए रखने की हकदार नहीं है, जो केवल मान्यता प्राप्त ट्रेड संघों को ही दी जाती हैं । आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का मापदंड संघ की मान्यता का वर्ष या संविधान की दिनांक नहीं है, बल्कि एकमात्र मापदंड यह है कि मान्यता प्राप्त संघ संहिता के कंडिका 1905 के तहत कुछ सुविधाओं की हकदार है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभिवचनों और उनसे जुड़े दस्तावेज़ों के अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि चूंकि याचिकाकर्ता-संघ मान्यता प्राप्त संघ होने के लिए न्यूनतम अर्हक मत प्राप्त नहीं कर सकी, इसलिए उत्तरवादी संख्या 2 से 5 ने याचिकाकर्ता-संघ को रेलवे द्वारा प्रदान किए गए आवास और अन्य सुविधाओं को रिक्त करने के

लिए विभिन्न सूचनाएं/पत्र भेजे। याचिकाकर्ता-संघ ने, बदले में, उत्तरवादियों को विस्तार देने और आधिकारिक आवास तथा अन्य सुविधाओं को कुछ अतिरिक्त अवधि के लिए बनाए रखने की अनुमति देने के लिए लिखा, क्योंकि वे कुछ वैकल्पिक आवास की तलाश में थे। उक्त अनुरोध को बार-बार दोहराया गया और अंत में, याचिकाकर्ता-संघ को दिनांक 10.06.2008 तक आवास और अन्य सुविधाओं को बनाए रखने की अनुमति दी गई ।

6. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एलएल) 78 डब्ल्यूपीएम/2-8 दिनांक 29.12.1978 के अनुसार, मान्यता प्राप्त ट्रेड संघ, अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधाओं के हकदार हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"(i) टेलीफोन (रेलवे और डाक व तार विभाग दोनों)

(ii) रेलवे के स्वयं के संसाधनों के भीतर सचिवीय सहायता (संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या ई(एलएल) 77 डब्ल्यूपीएम/2-2 दिनांक 05.11.77)

(iii) ज़ोनल/मंडल मुख्यालय कार्यालय भवन में कार्यालय आवास (संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या ई(एलएल) 77 डब्ल्यूपीएम/2-2(सी) दिनांक 20.07.78)**"**

7. भारतीय रेलवे के ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' कर्मचारियों की सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पंजीकृत रेलवे ट्रेड संघों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से गोपनीय मतदान आयोजित करने की प्रक्रिया, खंड 5 में मान्यता के मानदंडों का प्रावधान करती है, जो इस प्रकार है:

"5. मान्यता के मानदंड:

i) कुल मतदाता संख्या का 30% या उससे अधिक का एकल मत प्राप्त करने वाले सभी संघों को मान्यता प्राप्त माना जाएगा ।

ii) यदि केवल एक संघ कुल मतदाता संख्या का 30% या उससे अधिक का एकल मत प्राप्त करता है और अगली अधिकतम संख्या में मत प्राप्त करने वाला कोई अन्य संघ डाले गए वैध मतों का कम से कम 35% प्राप्त करता है, तो इन दोनों संघों को मान्यता मिलेगी । (यह मानता है कि डाले गए मतों का 35% कुल मतदाता संख्या के 30% से कम होगा)।

iii) यदि **(i)** और **(ii)** में निर्धारित स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, तो अधिकतम संख्या में मत प्राप्त करने वाले

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दो संघों को मान्यता दी जाएगी, बशर्ते कि प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से डाले गए वैध मतों का 35% से अधिक प्राप्त करे।

iv) यदि **(i)**, **(ii)** और **(iii)** में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाला कोई संघ नहीं है, तो डाले गए वैध मतों की अधिकतम संख्या प्राप्त करने वाले संघ को मान्यता दी जाएगी, बशर्ते कि उसे डाले गए वैध मतों का कम से कम 20% प्राप्त हो । इस मामले में केवल एक संघ को मान्यता मिलेगी।

v) यदि किसी भी संघ को वैध मतों का 20% भी प्राप्त नहीं होता है, तो किसी भी संघ को मान्यता नहीं मिलेगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. गोपनीय मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26, 27 और 28 नवंबर, 2007 को आयोजित किया गया था । मतों की गणना पर, परिणाम इस प्रकार घोषित किया गया था:

क्र.सं.	संघ का नाम (पंजीकरण सं.)	कुल मतदा	डाले गए वैध मत	संघ द्वारा	मतदा ता	डाले गए मतों के

		ता संख्या		प्राप्त मत	संख्या के % के रूप में प्राप्त मत	% के रूप में प्राप्त मत
1	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मज़दूर संघ पंजी. सं. 79 (रायपुर)	40,246	34,012	4080	10.14	12.00
2	रेल कामगार सेना पंजी. सं.ए एल सी /कार्यासन/17/9630 (मुंबई)			918	2.28	2.70
3	रेल मज़दूर यूनियन पंजी. सं. बीवाई-II-7867- (मुंबई)			1067	2.65	3.14
4	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मज़दूर कांग्रेस पंजी. सं. 78 (रायपुर)			9758	24.25	28.69
5	दक्षिण पूर्व मध्य रेलकर्मी			1818	45.19	53.48

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	यूनियन पंजी. सं. 57 (रायपुर)			9		

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

v) यदि किसी भी संघ को वैध मतों का 20% भी प्राप्त नहीं होता है, तो किसी भी संघ को मान्यता नहीं मिलेगी ।

xxx xxx xxx

भवदीय,

सही/-

अस्पष्ट हस्ताक्षर

(प्रदीप कुमार)

महाप्रबंधक"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दक्षिण पूर्व मध्य रेलकर्मी यूनियन, पंजीकरण संख्या 57, रायपुर को 45% मत प्राप्त हुए और याचिकाकर्ता-संघ सहित अन्य संघों को कुल मतदाता संख्या के आवश्यक 30% और डाले गए मतों के 35% से कम मत प्राप्त हुए। अतः इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता-संघ मान्यता-प्राप्त संघ नहीं रही। जब याचिकाकर्ता-संघ मान्यता-प्राप्त नहीं थी, तब उसे किसी प्रकार की सुविधाओं का अधिकार भी नहीं था।

10.याचिकाकर्ता-संघ यह दर्शाने हेतु कोई भी परिपत्र / अधिसूचना / ज्ञापन अथवा अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिससे यह सिद्ध हो कि याचिकाकर्ता-संघ, मान्यता-प्राप्त ट्रेड यूनियनों को प्रदान की जाने वाली भाँति, आवास आवंटन या अन्य सुविधाओं का हकदार है — चाहे वह संघ मान्यता-प्राप्त हो अथवा नहीं। याचिकाकर्ता को ऐसा कोई वैधानिक, संवैधानिक या अधिसूचित अधिकार प्राप्त नहीं है जिसका प्रवर्तन भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की असाधारण रिट-अधिकारिता में किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यह रेलवे प्रशासन की एक नीति प्रतीत होती है कि वह मान्यता प्राप्त ट्रेड संघों को ही आवास और अन्य सुविधाएं जैसे बिजली, टेलीफोन शुल्क, फैक्स, रेल यात्रा के लिए कार्ड पास आदि प्रदान करे, जो मान्यता प्राप्त ट्रेड संघों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं । यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक नीति मनमानी और किसी भी कारण से सूचित न हो, न्यायालय को सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

12. ***एम.पी. ऑयल एक्सट्रैक्शन और एक अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य और अन्य,(1997) 7 SCC 592***, के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी:

> **"41**.... राज्य के कार्यकारी प्राधिकारी को राज्य के प्रशासन के लिए एक नीति बनाने की अपनी क्षमता के भीतर माना जाना चाहिए। जब तक बनाई गई नीति पूरी तरह से मनमानी नहीं है, और किसी भी कारण से सूचित नहीं हो रही है, इसे स्पष्ट रूप से मनमाना और कार्यकारी कार्यवाहकों के मात्र स्वेच्छाचार पर आधारित नहीं माना जा सकता है, जिससे यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता हो या ऐसी नीति अन्य संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती हो या किसी सांविधिक प्रावधान के साथ विरोधाभास में आती हो, तब तक न्यायालय को अपनी सीमा से बाहर कदम नहीं उठाना चाहिए और राज्य के कार्यकारी कार्यवाहकों के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । इस न्यायालय ने अनिश्चित शब्दों में चेतावनी दी है कि नीतिगत निर्णय राज्य के कार्यकारी प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है और न्यायालय को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सार्वजनिक नीति के अछूटे महासागर पर कदम नहीं रखना चाहिए और ऐसी नीति की प्रभावकारिता या अन्यथा पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए जब तक कि वह किसी भी विधि या भारत के संविधान के प्रावधान का उल्लंघन न करे।"

13. यह भी स्थापित विधि के सिद्धान्त है कि जब किसी पक्ष के पक्ष में कोई संवैधानिक, वैधानिक अथवा विधिक अधिकार अस्तित्व में ही नहीं है, तब ऐसे किसी दायित्व के प्रवर्तन हेतु रिट-कार्रवाही अपेक्षित नहीं है। वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता-संघ यह प्रदर्शित नहीं कर सका कि उसके पक्ष में कोई वैधानिक, विधिक अथवा संवैधानिक अधिकार उत्पन्न हुआ है जो ट्रेड संघ के रूप मे काफी लंबे समय तक पंजीकृत था, विशेषकर उस स्थिति में जबकि 26, 27 एवं 28 अक्टूबर 2007 को हुए निर्वाचन में याचिकाकर्ता-संघ आवश्यक न्यूनतम मत-मानदण्ड प्राप्त करने में विफल रहा और परिणामस्वरूप उसकी मान्यता को निरस्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपरोक्त तथ्यों तथा उपर्युक्त कारणों के परिप्रेक्ष्य में यह रिट याचिका निरस्त की जाती है।

15. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Amitesh Anand Rathore